महत्वपूर्ण

संख्या-4/2026/284/सैतालीस-का-1-2026-13(1)/2022

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 14 मई, 2026

विषयः-पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही।

महोदया/महोदय,

मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन Departmental Promotion Committee (डी0पी0सी0) की बैठकें कराए जाने के सम्बन्ध में मानव सम्पदा पोर्टल पर डी0पी0सी0 मॉड्यूल विकसित किया गया है। शासनादेश संख्या-02/2026/203/सैंतालीस-का-1-2026-13(1)2025, दिनांक 13 मार्च, 2026 द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ज्येष्ठता एवं योग्यता आधारित चयनों हेतु Standard Operating Procedures (एस0ओ0पी0) संलग्न कर विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2- वर्तमान में उत्तर प्रदेश भर्ती का वर्ष का प्रतिस्थापन नियमावली, 2026 के अनुसार चयन वर्ष 2026-2027 दिनांक 01 जुलाई, 2026 से प्रारम्भ होकर दिनांक 31 दिसम्बर, 2026 तक सीमित है तथा चयन वर्ष 2027 कैलेण्डर वर्ष के 01 जनवरी, 2027 से 31 दिसम्बर, 2027 तक के लिए है। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही समय से सम्पन्न न होने के कारण पदों को भरने में अनावश्यक विलम्ब होता है, जिसके फलस्वरूप शासकीय कार्य प्रभावित होते हैं तथा सम्बन्धित कार्मिकों के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किः-

3.1 समस्त पदोन्नतियों की कार्यवाही मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही की जाएंगी। मानव सम्पदा पोर्टल पर विकसित डी0पी0सी0 मॉड्यूल के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से की गई चयन की कार्यवाही मान्य नहीं होगी।

3.2 चयन वर्ष 2026-2027 में माह दिसम्बर, 2026 तक घटित होने वाली समस्त रिक्तियों की गणना करते हुए, पदोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही दिनांक 30 जून, 2026 तक पूर्ण कर ली जाए।

3.3 चयन वर्ष 2027 हेतु 01 जनवरी, 2027 से 31 दिसम्बर, 2027 तक घटित होने वाली समस्त रिक्तियों की गणना करते हुए पदोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही 15 जनवरी, 2027 तक पूर्ण कर ली जाए।

3.4 विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के ऐसे पदों, जिनके लिए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके कार्मिक विभाग के माध्यम से चयन कराया जाना है, हेतु विहित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रक्रियानुसार चयन प्रस्ताव कार्मिक विभाग को विलम्बतम जून, 2026 के प्रथम सप्ताह तक मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से अवश्य उपलब्ध करा दिए जाएं।

3.5 पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली ऐसी रिक्तियाँ जो लोक सेवा आयोग की परिधि की हैं, के सम्बन्ध में अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए जाने की कार्यवाही भी पूर्ण कर ली जाए।

4- उपर्युक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित न होने की दशा में, सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध उनके नियन्त्रक अधिकारी के स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
एस0पी0 गोयल
मुख्य सचिव।

संख्या-4/2026/284/सैतालीस-का-1-2026-13(1)/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल, जन भवन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
एम0 देवराज
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in